फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 01.09.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा लूट के अपराध में वांछित/ 25000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को जनपद कटिहार राज्य बिहार से किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/2022 धारा 394/411 भादवि से सम्बन्धित वाँछित/ईनामी अभियुक्त विजेन्द्र शाह पुत्र प्रदीप शाह निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बरारी जनपद कटिहार राज्य बिहार को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

01.विजेन्द्र शाह पुत्र प्रदीप शाह निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बरारी जनपद कटिहार राज्य बिहार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 30.08.2022 को वादी श्री मनोज कुमार गंगवार पुत्र स्व0 बृजभूषण सिंह निवासी मोहल्ला सरदार खाँ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी माँ व पुत्री अकेली घर पर थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति दरवाजे के अन्दर आकर बोला कि पीतल व ताबें के बर्तन साफ करवा लीजिये एकदम चमक जायेगें तो उसकी माँ ने पूजा करने वाला तांबे का लोटा दिया जिसे उस अज्ञात व्यक्ति ने चमकाया और आवाज देकर अपने अन्य साथियों को अन्दर बुला लिया तथा माँ के हाथ में पहनी सोने की चूंडियों को तमंचा दिखाकर उतरवा लिया और बेटी के साथ मारपीट करके उसकी भी सोने की चैन लूट ली और भाग गये। वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 385/2022 धारा 394/411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1. संजय शाह पुत्र सिकन्दर शाह निवासी लक्ष्मीपुर थाना बरारी जिला कटिहार (बिहार) 2. गौतम शाह पुत्र स्व0 रामप्रकाश शाह निवासी लक्ष्मीपुर थाना बरारी जनपद कटिहार (बिहार) 3. दिलीप कुमार शाह पुत्र सरजुकशाह निवासी लक्ष्मीपुर थाना बरारी जिला कठिहार (बिहार) 4. विजेन्द्र शाह पुत्र प्रदीप शाह निवासी लक्ष्मीपुर थाना बरारी जनपद कटिहार (बिहार) आदि के नाम प्रकाश में आये, जिनमें अभियुक्तगण संजय शाह, गौतम शाह एवं दिलीप शाह को थाना पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा वांछित अभियुक्त विजेन्द्र शाह उपरोक्त दिनांक 30.08.2022 को अभियोग की घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा कई बार सम्भावित स्थानों पर दबिशे दी गयी तथा अभि0 विजेन्द्र शाह उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 30.08.2024 को थाना मऊदरवाजा से बिहार गयी पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियुक्त विजेन्द्र शाह उपरोक्त को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस से आवश्यक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तारशुदा अभि0 विजेन्द्र शाह उपरोक्त को थाना मऊदरवाजा पर दिनांक 01.09.2024 को दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त विजेन्द्र शाह उपरोक्त:-अभियुक्त विजेन्द्र शाह पुत्र प्रदीप शाह निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बरारी जनपद कटिहार राज्य बिहार ने पूछने पर बताया कि साहब मैने लालच में आकर अपने साथियों संजय शाह, गौतम शाह एवं दिलीप शाह के साथ मिलकर गलत काम किया था, मुझे माफ कर दिया जाये भविष्य में ऐसी गलती नहीं करुंगा। शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

अभियुक्त विजेन्द्र शाह का आपराधिक इतिहास -

1.मु॰अ॰सं॰ 385/2022 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2.मु॰अ0सं॰ 463/2022 धारा 307/399/402 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

1. प्रभारी नि0 अमित गंगवार
2. उ0नि0 मो0 हुसैन
3. आ0 सौरभ
4. आ0 विपिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।